न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 20/2026

राजस्थान सरकार जरिये रामगोपाल भांबी, कृषि अधिकारी (पौ.स) उवर्रक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निवेदक कृषि (विस्तार) केकड़ी

...........प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0 लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अरांई, अजमेर।
2. श्री केशव राठी पुत्र राजेश राठी, म0नं0 69, राठी विला, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ।

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी (पौ.सं.) **पैरोकार सरकार**
2. श्री केशव राठी प्रोपराईटर अप्रार्थी सं. 01 व.02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक– 06.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गुनि/2025/1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कोटडी व श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी फसल को लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुॅचा तथा मैसर्स शंम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अराई अजमेर की विनिर्माण ईकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म प्रतिनिधी श्री सुमित असावा पुत्र श्री ओमप्रकाश असावा शिवाजी नगर, मदनगंज–किशनगढ एवं गवाह के तौर पर ज्ञानचन्द जैन, सहायक कृषि अधिकारी आकोडिया, सुरेन्द्र उजेनिया, कृषि पर्यवेक्षक देवपुरी उपस्थित पाये गये। श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उवर्रक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकड़ी उरर्वक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अरांई अजमेर, राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उवर्रक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। मैसर्स शम्भू बायो फटीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नम्बर 86, चौसला, अराई अजमेर जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय, जयपर द्वारा एफसीओ FCO के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5585–5641 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2024–25/3727 को निरस्त कर, उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि/2025/3014–19 दिनांक 18.07.2025 को प्रदान किये गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manture (PROM)/(Suspacted) DAP Granular Black 13600 प्रति 50 कि0ग्राम0 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गुनि/2025/1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कोटडी व श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी फसल को लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुॅचा तथा मैसर्स शंम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अराई अजमेर की विनिर्माण ईकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म प्रतिनिधी श्री सुमित असावा पुत्र श्री ओमप्रकाश असावा शिवाजी नगर, मदनगंज–किशनगढ एवं गवाह के तौर पर ज्ञानचन्द जैन, सहायक कृषि अधिकारी आकोडिया, सुरेन्द्र उजेनिया, कृषि पर्यवेक्षक देवपुरी उपस्थित पाये गये। अप्रार्थी श्री केशव राठी पुत्र राजेश राठी, राठी विला, म0नं0 69, शिवाजी नगर, मदगंज–किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री शंम्भू बायो फर्टीलाइजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अराई, अजमेर जिला अजमेर, राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2024–25/3727 दिनांक 16.05.2024 और वैधता दिनांक 07.05.2029 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकड़ी उरवंक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों

जिला कलक्टर
अजमेर

का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अरांई अजमेर, राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक (बैग)	नमूना आहरण दिनांक	नमूना कोड	विश्लेषण परिणाम
1	Phosphate Rich Organic Manure (PROM)	अंकित नहीं	13600	30.05.2025	RGB/F/2025-26/03	अमानक
2	Suspacted DAP Granular Black			09.06.2025	RGB/F/2025-26/05	अमानक
3	Suspacted DAP Granular Black			09.06.2025	RGB/F/2025-26/06	अमानक
4	Suspacted Dap Granular Black			09.06.2025	RGB/F/2025-26/07	अमानक
5	Suspacted Dap Granular Black			09.06.2025	RGB/F/2025-26/08	अमानक

उर्वरक जब्ती के उपरान्त उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 28 (3) के तहत जब्ती की कार्यवाही की सूचना कार्यालय पत्रांक 481–84 दिनांक 31.05.2025 द्वारा जिला कलक्टर महोदय को भिजवाई गई है। मैसर्स शम्भू बायो फटीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नम्बर 86, चौसला, अराई अजमेर जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लघंन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय, जयपर द्वारा एफसीओ FCO के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5585–5641 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2024–25/3727 को निरस्त कर, उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि/2025/3014–19 दिनांक 18.07.2025 को प्रदान किये गए है। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 30.05.2025 को उनके विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) परिसर में श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकड़ी द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की कार्यवाही के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में SB CRIMINAL MISC. Petition

जिला कलक्टर
अजमेर

No 11763/2025 (मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0 लि0 खसरा नम्बर 86, चौसला, अराई अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एग्रीकलचर) दायर की गई है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0 लि0 खसरा नं0 86, चौसला अराई, अजमेर जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manture (PROM)/(Suspacted) DAP Granular Black 13600 प्रति 50 कि0ग्राम0 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमनुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त जब्तशुदा माल निर्माण प्रक्रिया अधीन अर्द्धनिर्मित माल था तथा विक्रय हेतु तैयार माल नहीं था। यह माल छोटे–मोटे कट्टो में बिना वनज के भरे हुए थे। उपरोक्त माल हमारे को जिन माल को बनाने एवं अनुज्ञा प्राप्त थी उसी क्वालिटी के थे। उपरोक्त माल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई हैं। उक्त जब्तशुदा माल सस्पेक्टिड डी.ए.पी. के आधार पर जब्त किया गया हैं परन्तु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा की रिपोर्ट 20.06.2025 एवं 25.06.2026 के द्वारा भी डी.ए.पी नहीं होना पाया गया हैं। यह कि अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं, राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। उक्त माल समय की प्रकृति से क्षरण एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका है और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6 ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः जवाब स्वीकार कर उक्त प्रकरण को निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गुनि/2025/1045–49 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 30.05.2025 को संयुक्त रूप से गठित कमेठी निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकडी श्री रामनिवास जांगिड, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कोटडी व श्री राजकुमार सोनी, कृषि अधिकारी फसल को लगभग अपरान्ह 05.00 बजे पहुॅचा तथा मैसर्स शंम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अराई अजमेर की विनिर्माण ईकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर फर्म प्रतिनिधी श्री सुमित असावा पुत्र श्री ओमप्रकाश असावा शिवाजी नगर, मदनगंज–किशनगढ एवं गवाह के तौर पर ज्ञानचन्द

जिला कलेक्टर
अजमेर

जैन, सहायक कृषि अधिकारी आकोडिया, सुरेन्द्र उजेनिया, कृषि पर्यवेक्षक देवपुरी उपस्थित पाये गये। अप्रार्थी श्री केशव राठी पुत्र राजेश राठी, राठी विला, म0नं0 69, शिवाजी नगर, मदगंज–किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री शंम्भू बायो फर्टीलाइजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अराई, अजमेर जिला अजमेर, राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2024–25/3727 दिनांक 16.05.2024 और वैधता दिनांक 07.05.2029 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री रामगोपाल भांबी कृषि अधिकारी उवर्रक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) केकड़ी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नं0 86, चौसला, अरांई अजमेर, राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उवर्रक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। मैसर्स शम्भू बायो फटीलाईजर प्रा0लि0 खसरा नम्बर 86, चौसला, अराई अजमेर जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय, जयपर द्वारा एफसीओ FCO के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5585–5641 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale OF Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2024–25/3727 को निरस्त कर, उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश संयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि/2025/3014–19 दिनांक 18.07.2025 को प्रदान किये गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स शम्भू बायो फर्टीलाईजर प्रा0 लि0 खसरा नं0 86, चौसला अराई, अजमेर जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/दौराने बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया हैं। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manture (PROM)/(Suspacted) DAP Granular Black 13600 प्रति 50 कि0ग्राम0 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), केकड़ी उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर